# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

### नरेन्द्रपालसिंह बनाम् सरकार

**प्रकरण अन्तर्गत धारा–136 एल.आर.एक्ट (दुरूस्ती)**

**प्रकरण सं.–03/2022** जी.एस.एम.एस. नं.–2022/69

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक |
|---|---|---|
| 25/3/22 | आज यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के द्वारा कैम्प कोर्ट 3 एन.डी में प्राप्त प्रार्थना पत्र बाबत नाम में दुरूस्ती में तहसीलदार, अनूपगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ प्रार्थी का नाम रिकॉर्ड में महेन्द्रपालसिंह अंकित है आधार कार्ड में नरेन्द्रपालसिंह है तथा प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रपालसिंह उर्फ नरेन्द्रपालसिंह की दुरूस्ती करवाना चाहता है।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं प्रार्थी के शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रपाल सिंह उर्फ नरेन्द्रपाल सिंह की एतद् द्वारा दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करें।<br><br>निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Priyanka<br>(प्रियंका तलानिया)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अनूपगढ | |